

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

(पीठासीन अधिकारी (केम्प कोर्ट) कैम्पनावां.....)

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी.....नावां..... व भू.अ.नि.....नावां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदारनावां..... की अनुषंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम.....शेरपुरा..... तहसील नावां जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत 2023..... में खाता संख्या.....127, 120..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जाता है :-

क्र.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अपुद्ध)	आदेश (पुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	शेरपुरा	127, 120	टीकमचन्द पुजा मदनलाल जाति-कुम्हार सा. ६६ खमतेदार	टीकमचन्द पुजा मदनलाल जाति-कुम्हार सा. गोरबपुरा खमतेदार

क्रमांक/प्र.गा.के.स./2023/PDU उप/01
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, नावां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री.....टीकमचन्द नि० गोरबपुरा.....को सूचनार्थ।

24/06/25
पीठासीनी अधिकारी
केम्प कोर्ट.....नावां.....
उपखण्ड अधिकारी, नावां (खमतेदार)
दिनांक :-

24/6/25

24/06/25
पीठासीन अधिकारी
केम्प कोर्ट.....नावां.....
उपखण्ड अधिकारी, नावां (खमतेदार)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीइवाना-कुचामन)